# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी – श्री करतार सिंह पूनियां, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 33/2017

1. नन्दराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2. ओमप्रकाश पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3. राजेन्द्र पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4. हंसराज पुत्र सुखराम (फौत)

4/1. विमला पत्नी स्व. श्री हंसराज जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4/2. सुनीता नाबालिग जरिए माता विमला पत्नी स्व. श्री हंसराज जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4/3. मन्जू नाबालिग जरिए माता विमला पत्नी स्व. श्री हंसराज जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4/4. सुनील नाबालिग जरिए माता विमला पत्नी स्व. श्री हंसराज जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5. कुन्ता पुत्री सुखराम पत्नी रामकुमार जाति मेघवाल निवासी जोडकियां, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6. सीमा पुत्री सुखराम पत्नी ताराचन्द जाति मेघवाल निवासी जोडकियां, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7. राजेश्वरी पुत्री सुखराम पत्नी भूपराम जाति मेघवाल निवासी अयालकी, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

8. सावित्री पत्नी सुखराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

9. गुड्डी पुत्री उदाराम पत्नी गंगाजल जाति मेघवाल निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:26:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

10. कलावती पुत्री उदाराम पत्नी बनवारी लाल जाति मेघवाल निवासी हरदयालपुरा, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

11. चन्दो पुत्री उदाराम पत्नी नेतराम जाति मेघवाल निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

12. बुधा पुत्री उदाराम (फौत)

12/1. प्रवीण नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षक पिता ओमप्रकाश जाति मेघवाल

12/2. श्रवण नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षक पिता ओमप्रकाश जाति मेघवाल

12/3. सुमन नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षक पिता ओमप्रकाश जाति मेघवाल

13. बेगाराम पुत्र नानूराम (फौत)

13/1. तुलछी पत्नी स्वर्गीय बेगाराम

13/2. कृष्णलाल पुत्र स्व. बेगाराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

13/3. पप्पूराम पुत्र स्व. बेगाराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

13/4. महावीर पुत्र स्व. बेगाराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

13/5. सरबती पत्नी स्व. जसराम पुत्र स्व. बेगाराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

13/6. प्रियंका पुत्री स्व. जसराम पुत्र स्व. बेगाराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

13/7. कालूराम पुत्र स्व. जसराम पुत्र स्व. बेगाराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

13/8. गोगादेवी पुत्री स्व. बेगाराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

14. पुरखाराम पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ।

15. इमीलाल पुत्र बीरबल पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:26:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Scanned with CamScanner

16. भागीरथ पुत्र बीरबल पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ।

17. पालाराम पुत्र बीरबल पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ।

18. परमेश्वरी पत्नी बीरबल पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ।

19. चन्दो पुत्री बीरबल पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी दुलमानी, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

20. सन्तो पुत्री नानूराम पत्नी मुखराम जाति मेघवाल निवासी दुलमानी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

21. मथरो उर्फ मनोहरी पुत्री नानूराम पत्नी श्री श्रवणराम जाति मेघवाल निवासी बिलौचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

22. लीला पुत्री नानूराम पत्नी श्री हसंराज जाति मेघवाल निवासी बहलोलनगर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

23. झीना पुत्री नानूराम पत्नी धनसुखराम जाति मेघवाल निवासी बहलोलनगर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण

**बनाम**

1. भोला देवी बेवा मामराज (फौत) (नाम विलोपित)।
2. विमला पुत्री मामराज जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. बनवारी पुत्र मामराज जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. रामचन्द पुत्र मामराज जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. हरचन्द पुत्र मामराज (फौत)

5/1. मूर्तिदेवी पत्नी स्व. हरचन्द जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:26:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

5/2. प्रहलाद पुत्र स्व. हरचन्द जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5/3. सत्यनारायण पुत्र स्व. हरचन्द जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5/4. संजया पुत्री स्व. हरचन्द जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6. रघुवीर उर्फ रूघाराम पुत्र मामराज जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7. देवीलाल पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

8. औमप्रकाश पुत्र पतराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

9. बाधु देवी पत्नी पतराम जाति मेघवाल निवासी डबलीबास चैना, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—प्रत्यर्थीगण/वादीगण

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्व आदेश एवं डिक्री सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ दिनांक 09.01.2017, राजस्व वाद संख्या 142/2007**

उपस्थिती :— श्री बलविन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलार्थीगण की ओर से।
श्री सोमप्रकाश शर्मा अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 4, 6 की ओर से।
श्री गुरमेल सिंह अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 7 से 9 की ओर से।

निर्णय दिनांक :— 05.03.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanwar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:26:02 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रत्यर्थी ... की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र धारा 88 ... 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया गया कि तहसील हनुमानगढ़ के चक 8 एम.ओ.डी. के

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

खाता संख्या 113/114, पत्थर नम्बर 63/261, मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 3, 4, 7, 8 में कुल 1.012 है. मय गैर मुमकिन रास्ता कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं चक 14 जे.आर.के.ए में पत्थर नम्बर 63/260, मुरब्बा नम्बर 66 का किला नम्बर 1 से 3, 8 से 13, 18, 19, 22 ता 24 की 13 बीघा व पत्थर नम्बर 63/259 का किला नम्बर 22 कुल 14 बीघा भूमि वादिया संख्या 1 के पति एवं वादीगण संख्या 2 ता 6 के पिता मामराज पुत्र श्योजी के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है। मामराज फौत हो चुका है जिसके वादीगण वारिस है एवं मामराज के नाम की भूमि के हकदार व खातेदार है। चक 8 एम.ओ.डी. की भूमि में मामराज के वारिसान का नाम 1/2 भाग भूमि में दर्ज हो चुका है लेकिन चक 14 जे.आर.के.ए की भूमि में वादीगण का नाम दर्ज नहीं हुआ है जिसकी घोषणा करवा पाने के वादीगण अधिकारी है। वाद पत्र में अंकित किया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 23 का वर्णित भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है जिनके द्वारा वादीगण की चक 14 जे.आर.के.ए एवं 8 एम.ओ.डी. की भूमि में अनाधिकृत रूप से दखलअन्दाजी की जा रही है। वाद पत्र के अनुतोष में वादीगण के द्वारा चक 14 जे.आर.के.ए. की 3.542 है. भूमि एवं चक 8 एम.ओ.डी. की 1.012 है. भूमि का वादीगण को बहिस्सा बराबर का हकदार व काश्तकार घोषित करने एवं स्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी।

2. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया जाकर कथन किया गया कि वादीगण मामराज की जगह अपना नाम रिकॉर्ड में दर्ज करवा पाने के तथा घोषणा करवा पाने के अधिकारी नहीं है। मामराज के देहान्त उपरान्त वादीगण का कब्जा भी पूरी भूमि पर नहीं है वरन् चक 14 जे.आर.के.ए के खाता नम्बर 99/98, पत्थर नम्बर 63/260, मुरब्बा नम्बर 65 का किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 10 कुल 6 बीघा व पत्थर नम्बर 63/259, मुरब्बा नम्बर 57 का किला नम्बर 22 व चक 8 एम.ओ.डी. के खाता नम्बर 114/113, पत्थर नम्बर 63/261, मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 7, 8 कुल 2 बीघा इस प्रकार दोनो चकों की कुल 9 बीघा पर ही कब्जा काश्त है शेष कृषि भूमि चक 8 एम.ओ.डी. के खाता नम्बर 114/113, पत्थर नम्बर 63/261, मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 3, 4 कुल [illegible] चक 14 जे.आर.के.ए के खाता नम्बर 99/98, पत्थर नम्बर 63/260, मुरब्बा नम्बर [illegible] का किला नम्बर 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24 कुल 7 बीघा, उपरोक्तानुसार [illegible] की कुल 9 बीघा कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:26:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर उदाराम व नानूराम के विधिक वारिस होने के कारण प्रतिवादीगण के द्वारा अपना कब्जा होना कथन किया गया एवं वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने पिता के विधिक वारिस होने के नाते हक व हिस्सा होना कथन करते हुए प्रतिदावा के जरिए घोषणा करवाकर रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का कथन किया।

3. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण के द्वारा जवाबदावा के साथ अतिरिक्त कथन एवं प्रतिदावा इन आधारों पर प्रस्तुत किया कि वादीगण और प्रतिवादीगण के पितागण क्रमशः मामराज, पतराम, उदाराम, नानूराम, गणेशा व निकूराम पुत्रगण श्योजी सहित छह भाई थे जिनमें से गणेशाराम व निकूराम अविवाहित फौत हुए। शेष चार भाई रहे जिनके वादीगण एवं प्रतिवादीगण विधिक वारिस हुए। आगे यह कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता के पास भारत पाक विभाजन से पूर्व ही वर्तमान चक नम्बर 8 एम.ओ.डी. पटवार क्षेत्र डबलीबास पेमा तहसील हनुमानगढ़ के खाता नम्बर 114/113 के पत्थर नम्बर 63/261 के मुरब्बा नम्बर 17 का किला नम्बर 3, 4, 7, 8 कुल क्षेत्रफल 1.012 है. अर्थात चार बीघा व चक नम्बर 14 जे.आर.के.ए का खाता नम्बर 199/98, पत्थर नम्बर 63/259, मुरब्बा नम्बर 57 का किला नम्बर 22 व पत्थर नम्बर 63/260 का किला नम्बर 1 से 3, 8 से 10, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24 कुल क्षेत्रफल 3.542 है. अर्थात 14 बीघा भूमि है। उपरोक्तानुसार कुल 18 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। भूमि सहबन से राष्ट्रपति भारत सरकार दर्ज हुई है जबकि पूर्वजों की खुदकाश्त रही है एवं उक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में मामराज, पतराम, उदाराम, नानूराम व निकूराम के मध्य दिनांक 02.06.1982 को लिखित हुई जिसके अनुसार पांचो भाई बहिस्सा बराबर के हकदार होंगे एवं काश्त करेंगे। प्रतिदावा की मद संख्या 9क में वादीगण के पिता का हिसस्सा कुल 9 बीघा एवं प्रतिवादीगण के पिता का हिस्सा कुल 9 बीघा अंकित करते हुए वाद वादीगण निरस्त फरमाते हुए प्रतिदावा के माध्यम से अनुतोष चाहा कि प्रतिदावा की चरण संख्या 8 में वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण मामराज व पतराम पुत्र श्योजी [illegible] जन किया जाकर उनके स्थान पर आधा हिस्सा की कृषि भूमि [illegible] अंकित करने एवं 9 बीघा कब्जा काश्त की भूमि के सम्बन्ध में [illegible] जावी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:26:02 IST
Reason: SelfAttested

Lamo

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

4. वादीगण की ओर से प्रतिदावा का जवाब प्रस्तुत कर तथ्यों से इन्कार करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि प्रारम्भ से मामराज व पतराम की खुदकाश्त भूमि रही है तथा विवादित भूमि में मामराज व पतराम तथा इनके वारिसान के अलावा प्रतिवादीगण का हक नहीं है एवं ना हीं कब्जा है। सैटलमैन्ट कमिश्नर का आदेश बाध्यकारी नहीं होना कथन करते हुए लिखित को फर्जी एवं कूटरचित होना कथन किया। विवादित भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा ना होना कथन करते हुए प्रतिदावा खारिज करने एवं वाद वादीगण आज्ञाप्त करने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा 7 तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य ली गयी। साक्ष्य वादीगण में बनवारी पुत्र मामराज पी.डब्लयू.1, देवीलाल पुत्र पतराम पी.डब्लयू.2, भूप सिंह पुत्र रजीराम पी.डब्लयू. 3 ने अपने अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किये लेकिन उक्त तीनो गवाह प्रतिपरीक्षा हेतू उपस्थित नहीं आये जिस पर दिनांक 03.10.2013 को साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतू नियत की गयी। साक्ष्य प्रतिवादी में राजेन्द्र पुत्र उदाराम की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में पांच दस्तावेज साबित करवाये गये।

6. उभय पक्ष की अन्तिम बहस सुनने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण का प्रतिदावा निरस्त करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2017 को पारित की है लेकिन पर्चा डिक्री जारी नहीं किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2017 के विरूद्ध उक्त अपील इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा अपने प्रतिदावा के निरस्ती आदेश एवं डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

7. अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि विवादग्रस्त 18 बीघा भूमि को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति भारत सरकार मामराज वल्द श्योजी कौम चमार के नाम से दर्ज होना अंकित कर एवं यह अंकित करते हुए [illegible] राष्ट्रपति भारत सरकार की भूमि है जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्धा[illegible] के नियमन हेतू निर्धारित नियमों के तहत विधिसम्मत निर्धारित प्रक्रि[illegible] जा सकता है एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:26:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

धारा 88 व 188 के अन्तर्गत वाद का निस्तारण नहीं किया जा सकता, प्रतिवादीगण का दावा बिना तनकीवार विवेचन किये निरस्त कर दिया एवं अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित कर दी जो कि विधि विरूद्ध है। प्रतिदावा के सन्दर्भ में जो विवाधक विरचित किये गये थे उन पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया इसलिये अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी अंकित किया कि भूमि कस्टोडियन लैंड नही है वरन् जमाबन्दी सम्वत् 2004 में यही भूमि मामराज, पतराम, उदा पिसरान श्योजी के नाम से दर्ज है। तत्पश्चात यही इन्द्राजात इसी प्रकार से चलते रहे एवं भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा भूमि के इन्द्राजात मामराज के वारिसान के नाम से कर दिये। इस सम्बन्ध में चीफ सैटलमैन्ट कमिश्नर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.1970 से भी भूमि स्वर्गीय श्री श्योजीराम व उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों के कल्टीवेटरी राईटस की होना कहा हुआ है जिसके अनुसार भूमि कभी भी मामराज व पतराम के अकेलों की नहीं रही। अधीनस्थ न्यायालय को उसके समक्ष आयी साक्ष्य के आधार पर वाद का निर्णय करना चाहिये था।

8. अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का प्रतिदावा खारिज करने का निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिदावा पर कायम की गयी तनकीयात पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अनुसरण में निर्णय पारित करना चाहिये था। यह भी बहस में निवेदन किया कि चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के वाद खारिज करने के निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ वादीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है एवं ना हीं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत की गयी थी तो ऐसी स्थिती में प्रतिदावा स्वीकार किये जाने योग्य था अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्रतिदावा निरस्त करने की हद तक अपास्त किया जाकर प्रतिदावा आज्ञाप्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:26:02 IST
Reason: SelfAttested

9. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण की ओर से अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि चूंकि भूमि कस्टोडियन विभाग राष्ट्रपति

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

भारत सरकार की है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है इसलिये अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री विधिसम्मत अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किये गये है एवं उनके द्वारा दिनांक 11.02.2021 को आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर दस्तावेज इस आशय के प्रस्तुत किये है कि चक 14 जे.आर. के की 3.542 है. भूमि के सम्बन्ध में नियमनन राशि जमा करवायी जाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की कार्यवाही विचाराधीन है जिसमें उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 01.02.2017, पत्र तहसीलदार दिनांक 06.02.2017 बाबत राशि जमा करवाने एवं राशि जमा करवाने का चालान प्रस्तुत कर पत्रावली पर लेने एवं अपील अपीलार्थीगण निरस्त करने का निवेदन किया गया।

10. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण का प्रतिदावा बिना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये एवं बिना तनकीवार निर्णय पारित किये महज इस आधार पर निरस्त किया है कि विवादित भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम से दर्ज है जिस पर धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है इसलिये इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के तहत नियमनन की कार्यवाही ही किया जाना अपेक्षित होना कथन कर वाद एवं प्रतिदावा निरस्त किया गया है। हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय का ऐसा मत विधिसम्मत नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा मत प्रकट करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन कर एवं विवेचन कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था जो कि नहीं किया गया। अपील के स्तर पर जब पत्रावली में समग्र सामग्री दस्तावेज एवं साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिती में अनावश्यक न्याय को विलम्ब कारित करने के आशय से हम प्रकरण को प्रतिप्रेषित करना भी उचित नहीं समझते है ऐसी स्थिती में प्रतिदावा के सम्बन्ध में कायम की गयी तनकीयात पर हमारा निर्णय निम्न अनुसार है :–

1. तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी[illegible] था लेकिन वादीगण की ओर से इस तनकी को साबित करने के सम्बन्ध में कोई [illegible] अधीनस्थ न्यायालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:26:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

समक्ष प्रस्तुत नहीं की एवं साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत करने के अलावा प्रतिपरीक्षा हेतू उपस्थित नहीं हुए एवं वाद वादीगण खारिज होने के उपरान्त कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है इसलिये इस तनकी का निर्णय करना हम आवश्यक नहीं समझते है।

2. तनकी संख्या 2 को भी साबित करने का भार वादीगण पर था लेकिन वादीगण की ओर से इस तनकी को साबित करने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की एवं साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत करने के अलावा प्रतिपरीक्षा हेतू उपस्थित नहीं हुए एवं वाद वादीगण खारिज होने के उपरान्त कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है इसलिये इस तनकी का निर्णय करना हम आवश्यक नहीं समझते है।

3. तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कायम की गयी कि आया कि वादीगण स्वर्गीय मामराज की जगह अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी नहीं है एवं ना हीं दावा में किसी प्रकार की घोषणा पाने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने के लिए प्रतिवादीगण की ओर से राजेन्द्र पुत्र उदाराम के द्वारा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने ब्यान कलमबद्ध करवाये गये है जिससे प्रतिपरीक्षा की गयी है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में पांच दस्तावेज प्रदर्श अंकित कर साबित करवाये गये है। इस गवाह के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में अंकित किया है कि वादीगण 9 बीघा पर एवं प्रतिवादीगण 9 बीघा पर काबिज काश्त है। यह भी कथन किया है कि मामराज, पतराम, उदाराम, नानूराम, गणेशा व निकूराम पुत्रगण श्योजी छह भाई थे जिनमें से गणेशाराम व निकूराम अविवाहित फौत हुए थे। यह भी कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता के पास भारत पाक विभाजन से पूर्व से ही विवादग्रस्त भूमि 18 बीघा थी जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पास बहिस्सा बराबर बराबर चली आ रही है इस कथन की पुष्टि में गवाह के द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2004 प्रदर्श–1ए प्रस्तुत कर साबित करवाया है जिसमें अंकित अंकन अनुसार मामराज, पतराम एवं उदा पिसराने श्योजी के नाम से 18.06 बीघा भूमि ग्राम डबली बास चैना, तहसील हनुमानगढ़ में अंकित है। यह जमाबन्दी सन् 1947 की है अर्थात भारत पाक विभाजन के समय की जमाबन्दी है जिसमें [illegible] भूमि मामराज, पतराम एवं उदा के नाम से दर्ज है जिससे यह भी प्रमाणित है कि [illegible] भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम से अंकन नहीं थी वरन् स्टेट के समय की यह जमाबन्दी है। जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:26:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

सम्वत् 2013 प्रदर्श–2ए में भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम से किस आदेश से अंकित हुई, का कोई विवरण अंकित ना होने के कारण प्रदर्श–1ए की सत्यता को झुठलाया नहीं जा सकता है जिसके अनुसार भूमि स्टेट के समय से मामराज, पतराम एवं उदा के नाम से दर्ज है। प्रदर्श–3ए के अवलोकन से भी प्रमाणित है कि विवादग्रस्त भूमि पूर्व में बीकानेर स्टेट के समय श्योजी वल्द माला कौम चमार के नाम से दर्ज थी। प्रदर्श–5ए हल्फनामा के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि नानूराम, मामराज, पतराम, उदाराम व निकूराम के मध्य यह तहरीर निष्पादित हुई जिसके आधार पर 18 बीघा भूमि का विभाजन किया जाना साबित है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी भूमि मामराज वगैरा पिसराने श्योजी दर्ज है। गवाह राजेन्द्र के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर उससे प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी है जिससे उसकी साक्ष्य अविखण्डनीय रही है। ऐसी स्थिती में वादीगण मामराज के स्थान पर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के एवं किसी भी प्रकार की घोषणा करवा पाने के कतई अधिकारी प्रमाणित नहीं होते है अतः तनकी संख्या 1 का निर्णय प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

4. तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी संख्या 4 इस सम्बन्ध में कायम की गयी थी कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का वाद कारण हासिल नहीं है। इस तनकी के सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत यह है कि वादीगण के द्वारा वाद अपने अधिकारों की घोषणा का एवं विवादग्रस्त भूमि मामराज के स्थान पर वारिसान के नाम से अंकन करवाने का यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार अथवा हक नहीं है एवं वे जबरन बेजा तौर से भूमि में मदालखत करना चाहते है जबकि प्रतिवादीगण के द्वारा प्रतिदावा के तथ्यों को एवं तनकी संख्या 3 को अपने पक्ष में साबित किया है इसलिये ऐसी स्थिती में यह तथ्य अभिवचनों एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है कि वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद कारण हासिल नहीं है अतः तनकी संख्या 4 का निर्णय भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

5. तनकी संख्या 5 को साबित करने का संयुक्त भार वादीगण एवं प्रतिवादीगण पर रखा गया है जिसमें दोनो पक्षों को यह साबित करना था कि राजस्व रिकॉर्ड में वाद पत्र में अंकित भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार सहबन से अंकित किया गया है। वादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:26:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

ओर से इस तनकी के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी हैं। प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1ए एवं प्रदर्श–3ए प्रस्तुत कर साबित करवाया गया है कि विवादग्रस्त भूमि बीकानेर स्टेट के समय से श्योजी के नाम से एवं उसके उपरान्त मामराज, पतराम एवं उदा के नाम से दर्ज थी ऐसी परिस्थिती में जो भूमि बीकानेर स्टेट के समय से खातेदारी दर्ज है वह भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम से दर्ज नहीं हो सकती है एवं भूमि सहबन से राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम से अंकन होना प्रमाणित होता है इसलिये तनकी संख्या 5 का निर्णय वादीगण के खिलाफ एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

6. तनकी संख्या 6 को साबित करने का भार प्रतिवादीण पर था। तनकी संख्या 6 में प्रतिवादीगण को यह साबित करना था कि आया घोषणा इस आशय की प्रदान की जावे कि प्रतिदावा की चरण संख्या 8 में वर्णित कृषि भूमि जिसके राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण मामराज व पतराम पुत्र श्योजी कानाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर आधा हिस्सा की कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम अंकित करने का आदेश फरमाा जावे। इस तनकी को साबित करने के लिए प्रतिवादीगण की ओर से राजेन्द्र पुत्र उदा ने अपने ब्यान कलमबद्ध करवाये है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में पांच दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित कर साबित करवाया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रमाणित है कि विवादग्रस्त भूमि पूर्व में श्योजी पुत्र माला के नाम से अंकन थी जो बीकानेर स्टेट के समय मामराज, पतराम व उदा पिसराने श्योजी के नाम से दर्ज हुई एवं इसके उपरान्त राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम से गलत अंकित हुई। प्रतिवादीगण की साक्ष्य अविखण्डनीय रही है एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य के विपरीत वादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही होने के कारण प्रतिवादीगण मामराज व पतराम पुत्र श्योजी का नाम आधा हिस्सा अर्थात 9 बीघा की हद तक कलमजन करवाकर अपने नाम से अंकन करवा पाने के अधिकारी है अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी संख्या 6 का निर्णय बहक प्रतिवादीगण किया जाता है।

7. तनकी संख्या 7 व्यादेश के सम्बन्ध में कायम की गयी जिसमें प्रतिवादीगण के द्वारा यह साबित करना था कि उनके कब्जा काश्त की भूमि जो के चक 8 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 114 / 113 के पत्थर नम्बर 63 / 261, मुरब्बा नम्बर 17 का कि. नं. 3, 4 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:26:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

2 बीघा, चक 14 जे.आर.के.ए के खाता संख्या 99/98, पत्थर नम्बर 63/260, मुरब्बा नम्बर 65 का किला नम्बर 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24 कुल 7 बीघा उपरोक्तानुसार दोनो चकों में कुल 9 बीघा भूमि में वादीगण हस्तक्षेप करने से एवं भूमि को रहन, बैय अन्तरण करने व भार सृजित करने से निषिद्ध रहें। तनकी संख्या 3 ता 6 को प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष में साबित कर विवादग्रस्त भूमि में से 9 बीघा भूमि प्राप्त करना साबित किया है एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य अविखण्डनीय रही है एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत भी कोई दस्तावेज वादीगण के द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है इसलिये प्रतिवादीगण उक्त वर्णित व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी होने के कारण तनकी संख्या 7 का विनिश्चिय भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

11. इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थीगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता का जहां तक प्रश्न है तो साक्ष्य के विवेचन से यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है कि विवादग्रस्त भूमि बीकानेर स्टेट के समय से श्योजी एवं उसके उपरान्त मामराज, पतराम एवं उदा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी इसलिये राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम से इन्द्राज गलत हुआ है एवं भूमि को कस्टोडियन नियमों के तहत नियमन नहीं करवाया जाने के कारण प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात को पत्रावली पर लिया जाना न्यायोचित नहीं होने के कारण आवेदन पत्र प्रत्यर्थी अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का निरस्त किया जाता है।

12. उपरोक्तानुसार तनकी संख्या 3 ता 7 को अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है इसलिये अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा आज्ञाप्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2017 अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रतिदावा की हद तक निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ़ के चक 8 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 114/113 के पत्थर नम्बर 63/261, मुरब्बा नम्बर 17 का कि. नं. 3, 4 कुल 2 बीघा, तहसील हनुमानगढ़ के चक 14 जे.आर.के.ए के खाता संख्या 99/98, पत्थर नम्बर 63/260, मुरब्बा नम्बर 65 का किला नम्बर 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24 कुल 7 बीघा उपरोक्तानुसार दोनो चकों में कुल 9 बीघा भूमि का खातेदार घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:26:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रत्यर्थीगण के खिलाफ शाश्वत व्योदश जारी किया जाता है कि प्रत्यर्थीगण कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ़ के चक 8 एम.ओ.डी. के खाता संख्या 114/113 के पत्थर नम्बर 63/261, मुरब्बा नम्बर 17 का कि. नं. 3, 4 कुल 2 बीघा, तहसील हनुमानगढ़ के चक 14 जे.आर. के.ए के खाता संख्या 99/98, पत्थर नम्बर 63/260, मुरब्बा नम्बर 65 का किला नम्बर 12, 13, 18, 19, 22, 23, 24 कुल 7 बीघा उपरोक्तानुसार दोनो चकों में कुल 9 बीघा भूमि में अपीलार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से मदालखत करने एवं भूमि को रहन, बैय अन्तरण करने से निषिद्ध रहें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/3/21

(करतार सिंह पूनियां)

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:26:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner